To Provide Permanent Service

*324 **SH. BISHAN LAL SAINI, M.L.A.:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to permanent the services of D.C rate employees working in State?"

MANOHAR LAL, CHIEF MINISTER

No, Sir.

NOTE FOR PAD

Under Part I of the Outsourcing Policy, the Service Providing Agency has to pay "minimum wages or DC rate, whichever is higher". Under Part II, the employees are entitled to the minimum of the pay scale of the categories to which they belong but would not entitled to any of the allowances attached to that post. There is no proposal under Outsourcing Policy (Part I & II) to make permanent the services of any contractual/adhoc/daily wages/ DC rate employees engaged under the policy.

In respect of permanent or "regularization of services" it is informed that the Hon'ble Punjab and Haryana, High Court has quashed the State Government Regularization Policies of the year 2014 vide order dated 31.05.2018 passed in Yogesh Tyagi's case. The said order has been challenged by the State Government by way of filing SLP No. 31566 of 2018 titled as State of Haryana Vs Yogesh Tyagi & another in Hon'ble Supreme Court of India. Vide interim order dated 26.11.2018, Hon'ble Supreme Court has directed the petitioner State that "Let status qua be maintained." This means neither the regularized employees can be de-regularized/removed nor they can be given any kind of service benefits till the outcome of SLP. In simple words "**the present position may not be disturbed**". Since, the regularization policy has been quashed by Hon'ble High Court and SLP filed by the State Government is pending, no further regularization can be made till the final out come of SLP.

स्थायी रोज़गार उपलब्ध करवाने बारे

*324 **बिशन लाल सैनी, एम0एल0ए0.:** क्या उप मुख्यमंत्री कृप्या बताएंगे कि डी.सी रेट पर लगे कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है?

मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

श्रीमान, डी.सी रेट पर लगे कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नही है।

नोट फार पैड

आउटसोर्सिंग पालिसी के भाग–। के तहत, सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी को न्यूनतम मजदूरी या डीसी दर, जो भी अधिक हो, का भुगतान करना होता है। आउटसोर्सिंग पालिसी के भाग–।। के तहत, कर्मचारी उन श्रेणियों के न्यूनतम वेतनमान के हकदार हैं, जिससे उनका सम्बन्ध है, लेकिन वे पद से जुड़े किसी भी भत्ते के हकदार नही होंगे। आउटसोर्सिंग पालिसी (भाग–। और ।।) के तहत ठेके पर लगे, तदर्थ आधार, दैनिक वेतन या डीसी दर पर लगे कर्मचारियों की सेवाओं को स्थायी करने के लिए कोई प्रस्ताव नही है।

सेवाओं को स्थायी या नियमित करने के संबंध में यह सूचित किया जाता है कि माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने योगेश त्यागी तथा अन्य बनाम हरियाणा सरकार के मामले में दिनांक 31.05.2018 को पारित किए गए आदेशों द्वारा वर्ष 2014 की राज्य सरकार की नियमितीकरण नीतियों को रद्द कर दिया है। उक्त आदेशों को राज्य सरकार ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी 31566/2018 दाखिल करके चुनौती दी है जिसका शीर्षक हरियाणा सरकार बनाम योगेश त्यागी तथा अन्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.11.2019 को याचिकाकर्ता (राज्य सरकार) को 'यथा स्थिति को बनाए रखा जाए' के अन्तरिम आदेश दिए हैं। इसका अर्थ है कि एसएलपी के अन्तिम निर्णय तक इन कर्मचारियों को न तो अनियमित किया या हटाया जा सकता है और न ही इन्हें किसी प्रकार का सेवा लाभ प्रदान किया जा सकता है। साधारण शब्दों में वर्तमान स्थिति में कोई बदलाव़ नही किया जा सकता। चूंकि, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नियमितिकरण नीति रद्द कर दिया गया है और राज्य सरकार द्वारा दायर एसएलपी लम्बित है, एसएलपी के अन्तिम निर्णय आने तक कोई और नियमितिकरण नही किया जा सकता है।